Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **हनुमानगढ़ में रोड़वेज का परिचालक 40 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *25 अगस्त, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा आज हनुमानगढ़ में कार्यवाही करते हुये विजय छाबड़ा परिचालक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, हनुमानगढ़ डिपो को परिवादी से **40 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके बकाया 6 लाख रुपये के बिल पास करवाने एवं मार्ग ड्यूटी से हटवाने की एवज में दीपक भोबिया आगार मुख्य प्रबन्धक के नाम से विजय छाबड़ा परिचालक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, हनुमानगढ़ डिपो द्वारा **50 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल, पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीर शरण** एवं उनकी टीम द्वारा हनुमानगढ़ में ट्रेप कार्यवाही करते हुए विजय छाबड़ा निवासी भट्टा कॉलोनी, हनुमानगढ़ हाल परिचालक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, हनुमानगढ़ डिपो को परिवादी से **40 हजार रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रकरण में संदिग्ध दीपक भोबिया आगार मुख्य प्रबन्धक राज्य पथ परिवहन निगम, हनुमानगढ़ डिपो की भूमिका की विस्तृत जाँच की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।